तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / टीए / 2281 / 2002 / भीलवाडा** **मुली बाई बनाम प्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावात, सदस्य

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :

श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट

श्री सी.पी.पाराशर, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 21–11–2024

निर्णय

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–04–2002 के विरुद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने ''प्रार्थना पत्र बाबत अपील का निस्तारण सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–09–2017 के आधार पर किये जाने वास्ते दिनांक 18–09–2024'' में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भीलवाडा द्वारा सिविल वाद संख्या 54 / 2008 (116 / 2006) बउनवानी नानूराम मृतक जरिये जगदीश बनाम ज्ञानमल के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक एस.बी. सिविल पीटीशन संख्या 622 / 2017 बउनवानी प्यारी बनाम जगदीश प्रस्तुत की गई थी, जिसका माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22–08–2024 द्वारा निस्तारण कर दिया है। ऐसी स्थिति में माननीय मण्डल के समक्ष विचाराधीन अपील को स्वीकार करते हुए अपील का निस्तारण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भीलवाड़ा द्वारा सिविल वाद संख्या 54 / 2008 (116 /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टीए/2281/2002/भीलवाडा** **मुली बाई बनाम प्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2006) बउनवानी नानूराम मृतक जरिए जगदीश बनाम ज्ञानमल में पारित निर्णय दिनांक 27–09–2017 के आधार पर किया जाना आवश्यक है। अतः माननीय मण्डल के समक्ष विचाराधीन अपील को स्वीकार करते हुए अपील का निस्तारण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भीलवाड़ा द्वारा सिविल वाद संख्या 54/2008 (116/2006) बउनवानी नानूराम मृतक जरिए जगदीश बनाम ज्ञानमल में पारित निर्णय दिनांक 27–09–2017 के आधार पर किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। साथ ही अपीलांट के अधिवक्ता ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 26–10–2017 को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के संलग्न निर्णय व डिक्री न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भीलवाडा नानूराम बना बालचंद प्रकरण संख्या 54/2008 दिनांक 27–09–2017 एवं निर्णय व डिक्री न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भीलवाडा नानूराम बना बालचंद प्रकरण संख्या 55/2008 दिनांक 27–09–2017 की सत्य प्रतिलिपि को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–04–2022 को समुचित बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टीए/2281/2002/भीलवाडा** **मुली बाई बनाम प्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी बालू ने प्रतिवादी जेठु व मु0नन्दू के विरूद्ध सहायक कलक्टर (मु0) भीलवाडा के समक्ष धारा 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया, जो निर्णय दिनांक 17–10–2000 द्वारा स्वीकार किया गया जाकर वाद डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17–10–2000 के विरूद्ध रेस्पो0 श्रीमती प्यारी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–04–2022 द्वारा आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया गया एवं प्रकरण उभय पक्ष को सुनकर बाद साक्ष्य सबूत निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भीलवाडा द्वारा सिविल वाद संख्या 54/2008 बउनवानी नानूराम मृतक जरिये जगदीश बनाम ज्ञानमल में पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक एस.बी. सिविल पीटीशन संख्या 622/2017 बउनवानी प्यारी बनाम जगदीश प्रस्तुत की थी, जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22–08–2024 द्वारा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय मण्डल के समक्ष विचाराधीन अपील को स्वीकार करते हुए अपील का निस्तारण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 भीलवाड़ा द्वारा सिविल वाद संख्या 54/2008 में पारित निर्णय दिनांक 27–09–2017 के आधार पर किया जाना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की जो प्रति प्रस्तुत की गई है, उसमें दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/टीए/2281/2002/भीलवाडा** **मुली बाई बनाम प्यारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो जाने के आधार पर विचाराधीन प्रकरण को विड्रॉ किया गया है, उसमे कोई भी विशेष फाइन्डिंग नया निर्णय करने हेतु प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है जिससे कि अपीलांट के पक्ष में निर्णय किया जा सके। पक्षकारान के मध्य राजीनामा क्या हुआ, उसके क्या तथ्य हैं, यह इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं ना ही प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–04–2002 द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को उभय पक्ष को सुनकर बाद साक्ष्य सबूत पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है, उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय को संज्ञान में लेकर बाद साक्ष्य, सुनवाई विस्तृत विवेचन करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जायेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार यह अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–04–2002 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (मदनलाल नेहरा) सदस्य (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	